पत्र सं०-3/एफ०-01-20/2025..4845./वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

डॉ० आशिमा जैन, भा०प्र०से०
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/
प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 29/04/2025

विषयः- **विधान मंडल के सदस्यों/राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके आश्रित सदस्यों की चिकित्सा पर हुए व्यय राशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव वित्त विभाग में उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधान मंडल के सदस्यों/राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके आश्रित सदस्यों की चिकित्सा पर हुए 10 (दस) लाख रूपये से ऊपर के व्यय राशि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-1450(14), दिनांक-27.06.2024 के आलोक में वित्त विभाग में प्राप्त होते हैं, जिनकी समीक्षा/जाँच के क्रम में कतिपय त्रुटियाँ परिलक्षित होती हैं । कतिपय दावों के प्रस्तुतीकरण में संबंधित कागजात/साक्ष्य/प्रपत्रों की विधिवत् जाँच किये बिना ही प्रशासी विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया जाता है । कुछ संचिकाओं में वांछित कागजात/साक्ष्य संधारित न रहने या अपूर्ण/असंतोषजनक रहने की स्थिति में बाध्य होकर पृच्छोपरांत संचिकाओं को वापस करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है ।

2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में स्वास्थ्य/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है । अतः संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व निम्न बिन्दुओं के संबंध में आश्वस्त होना अपेक्षित है :-

क्र० सं०	समीक्षा का बिन्दु	वांछित कागजात/साक्ष्य का विवरण	संगत दिशा-निर्देश
1	2	3	4
(i)	आश्रितता	स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-1920(14), दिनांक-13.08.2024 द्वारा विधान मंडल के सदस्यों/राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों के आश्रितों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है तथा आश्रित की उम्र सीमा व आश्रित की आय का निर्धारण किया गया है ।	स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-1920(14), दिनांक-13.08.2024 की प्रति संलग्न है ।
(ii)	बहिर्वासी चिकित्सा	कुल 23 (तिइस) रोगों की सूची शामिल है ।	स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-736(14), दिनांक-13.04.2022 की प्रति संलग्न है ।
(iii)	राज्य से बाहर चिकित्सा	राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराने की पूर्वानुमति सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है ।	स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-1070(14), दिनांक-20.05.2006 की प्रति संलग्न है, जिसकी कंडिका-3(iv) का संदर्भ लिया जा सकता है ।
		बाध्यकारी परिस्थति में राज्य से बाहर करायी गई चिकित्सा की घटनोत्तर स्वीकृति प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा प्रदान की जाती है ।	स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-946(14), दिनांक- 14.08.2015 की प्रति संलग्न है, जिसकी कंडिका-5 का संदर्भ लिया जा सकता है ।
(iv)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र	चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र की सभी प्रविष्टियाँ विधिवत् अंकित करते हुए निर्धारित स्थान पर संबंधित अस्पताल के Superintendent/ Director/Chairman/Vice Chairman/ Administrator/ Registrar/ Consultant/ Medical Officer का हस्ताक्षर एवं मुहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित रहना आवश्यक है।	स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-997(14), दिनांक- 28.08.2015 तथा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-1995(14), दिनांक-14.12.2020 की प्रति संलग्न है ।

29/4/2025

(v)	चिकित्सा विपत्र	मूल विपत्र पर चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित रहना आवश्यक है ।	स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-1182(14), दिनांक-02.06.2006 की प्रति संलग्न है, जिसकी कंडिका-4 का संदर्भ लिया जा सकता है तथा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-118(14), दिनांक-28.01.2022 की प्रति संलग्न है, जिसकी कंडिका-कंडिका-2(4) का संदर्भ लिया जा सकता है ।
(vi)	डिस्चार्ज समरी/ चिकित्सा पूर्जा	अंतर्वासी चिकित्सा होने पर मूल डिस्चार्ज समरी पर चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित रहना आवश्यक है। बहिर्वासी चिकित्सा होने पर मूल चिकित्सा पूर्जा पर चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित रहना आवश्यक है ।	स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-1182(14), दिनांक-02.06.2006 की प्रति संलग्न है, जिसकी कंडिका-4 का संदर्भ लिया जा सकता है तथा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-118(14), दिनांक- 28.01.2022 की कंडिका-2(5) एवं 2(6) का संदर्भ लिया जा सकता है ।
(vii)	चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच करने के लिए सक्षम प्राधिकार	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षक की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा चिकित्सा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित प्रति रहना आवश्यक है।	स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-1450(14), दिनांक-27.06.2024 की प्रति संलग्न है ।

29/4/2025

3. चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्तावों की समेकित समीक्षा हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-7474, दिनांक-14.08.2014 में संलग्न मानक प्रारूप-I (समेकित व्यय विवरणी) एवं मानक प्रारूप-II (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) को संशोधित किया जा रहा है, जो पत्र के साथ संलग्न है । अतएव उक्त कंडिका-2 में वर्णित दिशा-निर्देशों के संगत कागजातों/साक्ष्यों के अतिरिक्त संलग्न मानक प्रारूप-I (समेकित व्यय विवरणी) एवं मानक प्रारूप-II (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) की सभी प्रविष्टियों को विधिवत् अंकित करते हुए इस पर उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी से हस्ताक्षरित एवं मुहरित (नाम एवं पदनाम सहित) कराकर संचिका में संधारित करना आवश्यक है ।

4. चिकित्सा में हुए व्यय राशि में चिकित्सा के निमित की गई यात्रा एवं ठहरने में हुए व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाना है ।

5. अतः उक्त कंडिका-2, 3 एवं 4 में वर्णित बिन्दुओं के प्रति आश्वस्त होकर वांछित कागजात/साक्ष्य/प्रपत्रों के साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि समयबद्ध रूप से मामले का निष्पादन किया जा सके ।

अनुलग्नक :- कुल 30 (तीस) पृष्ठ ।

I. मानक प्रारूप-I (समेकित व्यय विवरणी) - 01 (एक) पृष्ठ ।

II. मानक प्रारूप-II (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) - कुल 04 (चार) पृष्ठ ।

III. चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित स्वास्थ्य/वित्त विभागीय दिशा-निर्देश- कुल 25 (पच्चीस) पृष्ठ ।

विश्वासभाजन

Ashima Jain 29/4/2025

(डॉ० आशिमा जैन)

सचिव (व्यय),

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-3/एफ०-01-20/2025...4845.../वि०, पटना, दिनांक-...29/04/2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ashima Jain 29/4/2025

(डॉ० आशिमा जैन)

सचिव (व्यय),

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

<u>मानक प्रारूप-I</u>

<u>समेकित व्यय विवरणी</u>

क्र0सं0	अस्पताल का नाम	चिकित्सा की प्रकृति (अंतर्वासी/बहिर्वासी)	अभिश्रव संख्या (Voucher No.)	अभिश्रव की तिथि (Voucher Date)	राशि (Amount)	संचिका में अभिश्रव के पृष्ठांकन का क्रम संख्या
				कुल राशि :-		

उप सचिव से अन्यून स्तर के
पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर
(नाम एवं पदनाम सहित)

मानक प्रारूप-II (चिकित्सा प्रतिपूर्ति)

विधान मंडल के सदस्यों/राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके आश्रित सदस्यों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित वांछित सूचना :-

1. प्रशासी विभाग का नाम :-
2. सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम :-
3. सरकारी सेवक के आश्रित सदस्य की चिकित्सा होने की स्थिति में आश्रित सदस्य का नाम एवं संबंध :-
4. रोग का नाम :-
5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित साक्ष्य/कागजात के संधारण की विवरणी :-

क्र० सं०	साक्ष्य/कागजात		संधारित स्थिति (हाँ/नहीं)	पृष्ठांकन
1	2		3	4
(i)	राज्य से बाहर चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं०-1070(14), दिनांक-20.05.2006 की कंडिका-3(iv) में निहित प्रावधान के अनुसार :-	राज्य से बाहर सरकारी अस्पतालों या मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रथम बार चिकित्सा कराने की अनुमति के लिए संबंधित प्रस्ताव में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/ आई०जी०आई०एम०एस०, पटना के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/ निदेशक की अनुशंसा संबंधी आदेश की मूल प्रति		
		प्राप्त अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं०-1070(14), दिनांक-20.05.2006 की कंडिका-3(iv) में अंकित प्रावधान के आलोक में सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी की अनुमति संबंधी आदेश की मूल प्रति		

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th colspan="2">साक्ष्य/कागजात</th><th>संधारित स्थिति (हाँ/नहीं)</th><th>पृष्ठांकन</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2">बाध्यकारी परिस्थिति में राज्य से बाहर करायी गई चिकित्सा में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं०-946(14), दिनांक-14.08.2015 की कंडिका-5 के आलोक में विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति जिसमें चिकित्सा की अवधि, प्रकृति एवं चिकित्सारत् संस्थान के नाम का स्पष्ट उल्लेख हो, संबंधी आदेश की मूल प्रति ।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">(iii)</td><td rowspan="2">स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-1450(14), दिनांक-27.06.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा चिकित्सा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच कराये जाने के उपरान्त :-</td><td>चिकित्सा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित मूल प्रति ।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>अधीक्षक द्वारा प्रेषित मूल पत्र</td><td></td><td></td></tr>
</table>

6. (क) चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि :-

(ख) चिकित्सा विपत्रों की जाँच सी.जी.एच.एस. दर पर की गई है अथवा नहीं :-

(ग) स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-1450(14), दिनांक-27.06.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा चिकित्सा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँचोपरांत कितनी राशि की अनुशंसा है :-

(घ) संलग्न विपत्र/अभिश्रव पूर्णतः चिकित्सा से ही संबंधित है अथवा नहीं :-

(ङ) प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित व्यय राशि में चिकित्सा के निमित की गई यात्रा एवं ठहरने में हुए व्यय को सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं :-

7. बहिर्वासी चिकित्सा कराये जाने पर उक्त रोग स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-736(14), दिनांक-13.04.2022 में वर्णित रोगों की सूची में शामिल है अथवा नहीं :-

8. चिकित्सा से संबंधित अस्पताल, चिकित्सा की अवधि एवं प्रकृति से संबंधित विवरणी :-

(क) अंतर्वासी चिकित्सा से संबंधित विवरणी :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्र0 सं0	अस्पताल का नाम एवं अवस्थिति	अस्पताल सी.जी. एच.एस. मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं	चिकित्सा की अवधि (कब से कब तक)	मूल डिस्चार्ज समरी का पृष्ठांकन	मूल डिस्चार्ज समरी पर चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित है अथवा नहीं	मूल चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र का पृष्ठांकन	मूल चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र पर संबंधित अस्पताल के Superintendent / Director/ Chairman/Vice Chairman/ Administrator/ Registrar/ Consultant/ Medical Officer का हस्ताक्षर एवं मुहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित है अथवा नहीं	मूल विपत्र/ अभिश्रव का पृष्ठांकन	मूल विपत्र/अभिश्रव पर चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित है अथवा नहीं

(ख) बहिर्वासी चिकित्सा से संबंधित विवरणी :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्र0 सं0	अस्पताल का नाम एवं अवस्थिति	अस्पताल सी.जी. एच.एस. मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं	चिकित्सा की अवधि (कब से कब तक)	ओ०पी० डी० के मूल पूर्जा का पृष्ठांकन	ओ०पी० डी० के मूल पूर्जा पर चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित है अथवा नहीं	मूल चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र का पृष्ठांकन	मूल चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र पर संबंधित अस्पताल के Superintendent / Director/ Chairman/Vice Chairman/ Administrator/ Registrar/ Consultant/ Medical Officer का हस्ताक्षर एवं मुहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित है अथवा नहीं	मूल विपत्र/ अभिश्रव का पृष्ठांकन	मूल विपत्र/अभिश्रव पर चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित है अथवा नहीं

9. पत्राचार भाग पर रक्षित सभी कागजात/साक्ष्य/विपत्र का पृष्ठांकन क्रमवार है अथवा नहीं :-

10. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का अनुमोदन प्राप्त है अथवा नहीं :-

उप सचिव से अन्यून स्तर के
पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर
(नाम एवं पदनाम सहित)

सं०सं०—14 / विविध—26 / 2013

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः— **विधानमंडल के सदस्यों / राज्य के सरकारी पदाधिकारियों / कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा / उम्र सीमा / आश्रित की आय के निर्धारण के संबंध में।**

बिहार उपचार नियमावली—1947 एवं इसके अंतर्गत समय—समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों, परिपत्रों / संकल्पों के माध्यम से राज्य के सरकारी पदाधिकारियों / कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) एवं उनके आश्रितों यथा माता—पिता, पति—पत्नी एवं पुत्र—पुत्री (सौतेले संतान सहित) को अंतर्वासी एवं कतिपय बहिर्वासी चिकित्सा पर हुए व्यय की नियमानुसार प्रतिपूर्ति अनुमान्य है। परन्तु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु आश्रित की स्पष्ट व्याख्या नहीं रहने के कारण विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा समय—समय पर आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के बिन्दु पर परामर्श की अपेक्षा की जाती रही है।

2. विधानमंडल के सदस्यों / राज्य के सरकारी पदाधिकारियों / कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा / उम्र सीमा / आश्रित की आय के निर्धारण करने के संबंध में एक स्पष्ट दिशा—निर्देश की आवश्यंकता महसूस की गई।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0—4—24 / 96—सी एण्ड पी / सीजीएचएस / सीजीएचएस(पी), दिनांक—31.05.2007 की कंडिका—2 में आश्रित के लिए आयु सीमा का निर्धारण किया गया है जो निम्नवत् है :—

(i). **पुत्र के लिएः—**उसके विवाह हो जाने तक या उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(ii). **पुत्री के लिएः—** आयु सीमा का विचार किए बिना उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने या उसके विवाह हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(iii). **किसी तरह की स्थायी अशक्तता से पीड़ित पुत्र / पुत्री (शारीरिक या मानसिक):—** आयु सीमा पर विचार किये बिना तथा वैवाहिक स्थिति के होते हुए भी आश्रित माना जाएगा।

(iv). <u>आश्रित तलाक शुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई पुत्रियां/विधवा पुत्रियां तथा आश्रित अविवाहित/तलाक शुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई बहनें/विधवा बहनें</u> :– आयु सीमा पर विचार किये बिना।

(v). <u>नाबालिग भाई</u> :– व्यस्क होने की आयु तक।

4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के OM No.-11012 दिनांक–08.11.2016 की कंडिका–6 में किये गये प्रावधान के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु परिवार के सदस्य, जिनकी मासिक आय 9000 + D.A से कम है वही सरकारी कर्मी पर आश्रित माने जायेंगे।

5. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में विधानमंडल के सदस्यों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु आश्रितों को नये सिरे से परिभाषित निम्नरुपेण किया जाता है :–

क). **"आश्रित"** :– का तात्पर्य विधानमंडल के सदस्यों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के माता–पिता (सौतेले माता–पिता को छोड़कर), पत्नी/पति, पुत्र/पुत्री(सौतेले संतान सहित), नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन।

ख). <u>"आश्रित की उम्र सीमा"</u> :–

(i). <u>**पुत्र के लिए:**</u>–उसके विवाह हो जाने तक या उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने अथवा 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(ii). <u>**पुत्री के लिए:**–</u> आयु सीमा का विचार किए बिना उसके द्वारा उपार्जन शुरू किए जाने या उसके विवाह हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(iii). <u>**किसी तरह की स्थायी अशक्तता से पीड़ित पुत्र/पुत्री (शारीरिक या मानसिक)**</u>:–आयु सीमा पर विचार किये बिना तथा वैवाहिक स्थिति के होते हुए भी आश्रित माना जाएगा।

(iv). <u>आश्रित तलाक शुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई पुत्रियां/विधवा पुत्रियां तथा आश्रित अविवाहित/तलाक शुदा/पति द्वारा परित्यक्त या उससे अलग हुई बहनें/विधवा बहनें</u> :– आयु सीमा पर विचार किये बिना।

(v). <u>नाबालिग भाई</u> :– व्यस्क होने की आयु तक।

ग). "आश्रित की आय" :–

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उपरोक्त कंडिका– 5(क) एवं 5(ख) के वैसे सदस्य जिनकी मासिक आय 9000+ महँगाई भत्ता से कम है वही सरकारी कर्मी पर आश्रित माने जायेंगे परन्तु पति/पत्नी के मामले में आश्रितता (Dependency) हेतु उक्त आय की अधिसीमा प्रभावी नहीं होगी।

6. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(आदित्य प्रकाश)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–26/2013-1920(14) **/स्वा०, पटना, दिनांक–** 13/8/2024

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई0गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक–06.08.2024 की बैठक के मद संख्या–30 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Adityaprakash 12/8/2024
सरकार के अपर सचिव।

सं0–14 / विविध–05 / 2021

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 में निहित प्रावधान के तहत् राज्य के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए रू0 50,000/– (पचास हजार रुपया) की सीमा तक के व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की शक्ति संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी को प्रदत्त है। पुनः स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 1462(14), दिनांक– 16.08.2021 द्वारा राज्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन की गई परन्तु पूर्व में सिविल सर्जन के प्रत्यायोजित शक्ति को यथावत रखा गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या 1462(14), दिनांक– 16.08.2021 द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की राशि रू0 50,000/– (पचास हजार रुपया) तक की स्वीकृति के लिए पूर्व के प्रावधानों में निम्नरुपेण संशोधित किया जाता है :–

(i)	रू0 1,00,000/– (एक लाख) रुपया तक	संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा।
(ii)	रू0 1,00,001/– (एक लाख एक) रुपया से रू0 10 लाख (रू0 दस लाख) तक	संबंधित मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।
(iii)	रू0 10,00,000/– लाख (दस लाख) से ऊपर	संबंधित मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा।

3. विभागीय परिपत्र संख्या–997(14), दिनांक–28.08.2015 द्वारा कुल 6 (छह) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को जिला/प्रमंडलवार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु रू0 50,000/– (पचास हजार रुपया) से ऊपर के चिकित्सा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच के लिए प्राधिकृत किया गया है। वर्त्तमान में बिहार सरकार के अन्तर्गत कुल 10 (दस) मेडिकल कॉलेज अस्पताल संचालित है। उक्त परिप्रेक्ष्य में पटना एवं अन्य जिलों से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु प्राप्त दावों की संख्या में बढ़ोत्तरी के मद्देनजर

उत्पन्न कठिनाईयों एवं अनावश्यक विलंब को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति के दावों के त्वरित निष्पादन हेतु रू0 1,00,000/– (एक लाख रुपया) से ऊपर के चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित करने का दायित्वों को पूर्व निर्गत प्रावधान विभागीय परिपत्र संख्या–997(14), दिनांक–28.08.2015 में निम्नरुपेण संशोधन किया जाता है :–

क्र0 सं0	चिकित्सा संस्थान		आवंटित जिला/प्रमंडल
1.	अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।	–	पटना प्रमंडल का सिर्फ पटना जिला।
2.	अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना।	–	पटना प्रमंडल अंतर्गत भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिला।
3.	अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा।	–	पटना प्रमंडल अंतर्गत नालन्दा जिला एवं मगध प्रमंडल अन्तर्गत नवादा जिला।
4.	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया।	–	मगध प्रमंडल अंतर्गत गया, जहानाबाद, अरवल एवं औरंगाबाद जिला।
5.	अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरु चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।	–	भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल।
6.	अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।	–	दरभंगा प्रमंडल।
7.	अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	–	तिरहुत प्रमंडल के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला तथा सारण प्रमंडल।
8.	अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियाँ।	–	पूणियाँ प्रमंडल।
9.	अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा।	–	कोशी प्रमंडल।
10.	अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण)	–	तिरहुत प्रमंडल के पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिला।

4. उक्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में रोगों से संबंधित विभाग अनुपलब्ध होने की स्थिति में चिकित्सा व्यय विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के द्वारा किया जायेगा।

5. स्वास्थ्य विभाग उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के परिवर्त्तन/संशोधन करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

5.

6. उक्त सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में औषधि विभाग एवं शल्य चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रुप में रहेंगे। आवश्यकतानुसार अधीक्षक चाहे तो अन्य विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में नामित कर सकते है। त्रिसदस्यीय समिति द्वारा सप्ताह में दो बार बैठक कर विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/प्रतिहस्ताक्षरित कर संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग को लौटायेंगे।

7. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या— 946(14), दिनांक— 19.08.2015, परिपत्र संख्या— 997(14), दिनांक— 28.08.2015 एवं संकल्प संख्या— 1462(14), दिनांक— 16.08.2021 इस हद तक संशोधित समझे जायेगे।

8. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(शशांक शेखर सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक —14/विविध— 05/2021 1450(14) **/स्वा०, पटना, दिनांक—** 27/06/2024

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, ई0गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक— 20.06.2024 की बैठक के मद संख्या—11 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

24/6/24

सरकार के विशेष सचिव।

6.

D:/Awadh SEC-14/Sanlekh/Medical rebursement power deligation final 2024

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

736(14)
13.04.2022

विषय :–बिहार राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य बहिर्वासी रोगों की सूची में आठ (08) अन्य रोगों को सम्मिलित करने के संबंध में।

बिहार उपचार नियमावली–1947 एवं इसके अंतर्गत समय–समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों, परिपत्रों/संकल्पों के माध्यम से राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित बहिर्वासी रोगों की करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है।

2. स्वास्थ्य विभागीय परिपत्र संख्या–1182(14), दिनांक–02.06.2006 द्वारा निम्नांकित कुल 06 (छः) बहिर्वासी रोगों की करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य हैः–

(i) यक्ष्मा (T.B.)	(ii) कैंसर (Cancer)	(iii) कुष्ठ (Leprosy)
(iv) हृदय की शल्य क्रिया के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय	(v) गुर्दा (Kidney) प्रत्यारोपण के बाद की चिकित्सा पर हुए व्यय की।	(vi) लिवर प्रत्यारोपण के बाद की चिकित्सा पर हुए व्यय ।

3. पुनः स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–1977 (14), दिनांक–14.08.2006 द्वारा उपरोक्त बहिर्वासी रोगो के अतिरिक्त निम्नांकित कुल 09 (नौ) रोगों की कराई गई बहिर्वासी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य की गई हैः–

(i) हेपेटाइटिस –सी	(ii) हेपेटाइटिस –बी	(iii) लिवर सिरोसिस
(iv) हेमोफिलिया	(v) प्लास्टिक एनीमिया	(vi) एड्स
(vii) कालाजार	(viii) लकवा	(ix) गुर्दा रोग में डायलेसिस आरम्भ होने पर।

4. उक्त निर्गत संकल्प/परिपत्र में उल्लेखित रोगों से इतर भी कई अन्य जटिल रोग हैं जिनकी चिकित्सा बहिर्वासी रोगी के रूप में की जाती है, पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के मामले सामने आ रहे है।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 को दृष्टपथ रखते हुए बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत वैसी रोगों जिनका उल्लेख पूर्व से निर्गत संकल्प/प्रावधान में नहीं किया गया है पर विचार करने के लिए विभागीय आदेश संख्या–1354(14), दिनांक–03.08.2021 द्वारा निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चार सदस्यीय "बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति" का गठन करते हुए उनसे अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

6. "बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति" से प्राप्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए पूर्व से अनुमान्य उपरोक्त 15(पन्द्रह) रोगों के अतिरिक्त निम्नांकित–08(आठ) नये रोगों को बहिर्वासी रोगों के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य रोगों की सूची में सम्मिलित किया जाता हैः–

D/N/Sanlekh Praroop

7.

(i)रूमेटी गठिया (Rheumatoid Arthritis)	(ii) क्रोहन रोग (Crohn's Disease)	(iii) अतिगलग्रंथिता (Hyperthyroidism)
(iv) सोरायसिस (Psoriasis)	(v) लाइकेन प्लानस (Lichen Planus)	(vi) मस्तिष्क पक्षाघात (Clerebral Palsy)
(vii) पार्किंसन रोग (Parkinson's Disease)	(viii) पेल्विक इंफ्लामेट्री (Pelvic inflammatory)	

7. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
8. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(शैलेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक –14/विविध –08/2021-736(14) /स्वा०, पटना, दिनांक– 13.04.2022

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई0गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक –14/विविध –08/2021 - 736(14) /स्वा०, पटना, दिनांक– 13.04.2022

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सभी विभाग/सचिव, बिहार विधान परिषद/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/प्राचार्य सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/आई0जी0आई0सी0, पटना/निदेशक/अधीक्षक, सभी सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/4/22
सरकार के उप सचिव।

D/N/Sanlekh Praroop

सं0 सं0 –14/एम 2 –45/2020-118(14)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राम ईश्वर (भा0प्र0से0),
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
निदेशक, इदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना।
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

पटना, दिनांक– 28.01.2022

विषयः– राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों द्वारा करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध मे सूचित करना है कि राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव विभाग को भेजते समय विधिवत् जाँच नहीं की जाती है और प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है।

2. राज्य सरकार के कर्मियों की चिकित्सा हेतु विभाग द्वारा बिहार उपचार नियमावली प्रवृत्त है तथा समय–समय पर संकल्प/परिपत्र आदि निर्गत है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राप्त दावे अधिकांशतः अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण रहते हैं। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि दावों के प्रस्तुतीकरण में अभिलेखों की विधिवत् जाँच किये बिना ही प्रस्ताव विभाग को भेज दिया जाता है और समीक्षा/जाँच क्रम में त्रुटियाँ परिलक्षित होती है, जिसका निराकरण कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है। साथ ही यह भी पाया जा रहा है कि राज्य से बाहर चिकित्सा कराने हेतु बिना पूर्वानुमति के हीं चिकित्सा करा ली जाती है और चिकित्सोपरांत बाध्यकारी परिस्थिति का हवाला देते हुए घटनोत्तर स्वीकृति की अपेक्षा विभाग से की जाती है जो सही परम्परा नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव संलग्न जाँच पत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये –

(1.) चिकित्सा राज्य से बाहर करायी गयी हो तो विभागीय संकल्प संख्या–1070(14), दिनांक–20.05.2006 की कंडिका–3(iv) में निहित प्रावधानानुसार पूर्वानुमति संबंधी आदेश की मूल प्रति संलग्न है।

(2.) राज्य से बाहर बिना पूर्वानुमति के चिकित्सा करायी गयी है तो नियंत्री पदाधिकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें की राज्य से बाहर बाध्यकारी परिस्थिति में चिकित्सा करायी गयी है या नहीं। यदि हाँ, तो घटनोत्तर स्वीकृति का स्पष्ट प्रस्ताव कारण साक्ष्य सहित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उल्लेख करते हुए संलग्न किया गया है।

(3.) विभागीय परिपत्र संख्या संख्या–997(14) दिनांक–28.08.2015 द्वारा लागू विहित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ विधिवत् अंकित करते हुए निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित है।

(4.) विपत्र मूल रूप में हो, जिस पर संबंधित चिकित्सारत् संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित है या नहीं।

(5.) चिकित्सा पूर्जा की मूल/अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हो।

(6.) डिस्चार्ज समरी मूल रूप में हो। जिस पर संबंधित चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर (पदनाम सहित) अंकित होना चाहिए।

(7.) अभिश्रवों के विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

(8.) आश्रित होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी स्तर से निर्गत शपथ--पत्र की मूल प्रति, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि आश्रित का अन्य श्रोतों से कोई आय का साधन नहीं है।

(9.) विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों/संकल्पों तथा प्रवृत्त नियमावली के आलोक में भी जाँच कर लिया गया है।

उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों के आलोक में पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही विभाग को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया जाय।

नोट :– उपर्युक्त वर्णित निदेश से अपने सभी अधीनस्थों को अवगत् कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन

27/01/22

(राम ईश्वर)
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सं० सं० –14 / विविध –9 / 2015

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राम ईश्वर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन।

पटना, दिनांक–

विषयः–राज्य सरकार के कर्मियों के चिकित्सा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के संबंध में मार्गदर्शन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के कर्मियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से प्रतिपूर्ति हेतु नई व्यवस्था से संबंधित संकल्प संख्या–946(14), दिनांक–14.08.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प की कंडिका–8 के अनुसार विभागीय पत्रांक–997(14), दिनांक–28.08.2015 द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र को चिकित्सारत् संस्थान के अधीक्षक / निदेशक से हस्ताक्षरित एवं मुहरित कराया जाना अपेक्षित है।

2. विभाग के समक्ष ऐसे मामले लाये गये हैं जिनमें चिकित्सारत् संस्थान में अधीक्षक / निदेशक के स्थान पर Chairman/Vice Chairman/Administrator/Registrar/Consultant/Medical Officer आदि होते हैं, जिससे राज्य सरकार के कर्मियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में कठिनाई उत्पन्न होती है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में स्थिति की सम्यक समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र पर संबंधित अस्पताल के Chairman/Vice Chairman/Administrator/Registrar/Consultant/Medical Officer आदि का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित रहने पर भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति नियमानुसार प्रदान की जायेगी।

4. पूर्व में निर्गत पत्र संख्या–997(14) दिनांक–28.08.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

5. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

6. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन
ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–14 / विविध –09 / 2015 1995 (14) **पटना, दिनांक–** 14.12.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

11/12/2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

11.

पत्रांक-- 14/विविध.--9/15 - 997(14)

56

बिहार सरकार,
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

यशस्पति मिश्र
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन।

पटना, दिनांक-28-8-15

विषयः--राज्य सरकार के कर्मियों के चिकित्सा विपत्रो को प्रतिहस्ताक्षरित करने के संबंध में मार्ग दर्शन।

प्रसंगः--स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या--946(14) दिनांक--14.08.15 के कंडिका 8 के संबंध में दिशा निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार राज्य सरकार के कर्मियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से प्रतिपूर्ति हेतु नई व्यवस्था का संकल्प 946(14) दिनांक--14.08.15 जारी किया जा चुका है। संकल्प की कंडिका-- (6) में रू0 50,000/--(पचास हजार) से ऊपर के चिकित्सा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच करने की शक्ति सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों को दी गई है।

अतः इसके अनुपालन में सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में औषधि विभाग एवं शल्य चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में रहेगे। आवश्यकतानुसार अधीक्षक चाहे तो अन्य विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं। त्रिसदस्यीय समिति द्वारा सप्ताह में दो बार बैठक कर विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमान्यता की जॉच कर संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग को लौटायेंगे।

रू0 50,000/--(पचास हजार) से ऊपर के चिकित्सा विपत्रों की अनुमान्यता, शुद्धता की जॉच/प्रतिहस्ताक्षरित करने का दायित्व सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों को जिला/प्रमडलवार निम्नवत् होगा :--

1. PMCH अधीक्षक--पटना प्रमंडल का सिर्फ पटना जिला।
2. NMCH अधीक्षक--पटना प्रमंडल के अन्य जिले पटना जिला को छोडकर।
3. ANMCH अधीक्षक गया--मगध प्रमंडल के सभी जिले।
4. JLNMCH अधीक्षक भागलपुर-- भागलपुर मुंगेर एवं पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलें।
5. DMCH अधीक्षक दरभंगा-- दरभंगा एवं कोशी प्रमंडल के सभी जिले।
6. SKMCH अधीक्षक मुजफ्फरपुर--तिरहुत एवं सारण प्रमंडल के सभी जिले।

तत्सबंधी आदेश ज्ञापांक 1182(14) दिनांक 02.6.06 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

d/r/ 2015 letter rajesh format(Autosaved)

अनुवृत

12.

Dis/14 Dhah

(55)

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–946(14) दिनांक–14.08.15 के कंडिका–(8) के आलोक मे पूर्व में प्रचलित प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र/प्रपत्र को विलोपित करते हुए एक सरल एवं सुस्पस्ट प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र बनाया गया है जो निम्नवत् होगा :–

चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति प्रमाण पत्र

(1) सरकारी सेवक का नाम/पदनाम एवं कार्यालय/विभाग का नाम :–

(2) रोगी का नाम एवं सरकारी सेवक से संबंध :–

(3) रोग/बीमारी का नाम :–

(4) चिकित्सा कराये गये सरकारी /सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नाम:–

(5) चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति :–

(क) अंतर्वासी चिकित्सा :–दिनांक–..........................से दिनांक–..तक

(ख) बहिर्वासी चिकित्सा :–दिनांक–..........................से दिनांक–..तक

(6) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नही, संस्थान/पद नाम :–

(7) सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा कराने की स्वीकृति (अनुमति)/घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है या नही :–

(8) चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि :–

चिकित्सारत संस्थान के
अधीक्षक/निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर

सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

आदेश पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का दृढता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
यह आदेश ततकालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन
(यशस्पति मिश्र)
सरकार के उप सचिव।

d/r/ 2015 letter rajesh format(Autosaved)

946(14), 14/08/15

सं0 स0 14/विविध–9/2015
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

विषयः सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन/दिशा निर्देश ।

राज्य के सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/अनुमति में विभिन्न प्रकार की कठिनाईया आ रही है, जिससे सरकारी कर्मियों एवं उनके आश्रितों को ससमय चिकित्सा सुविधा प्राप्ति में कठिनाईयों एवं अनावश्यक विलम्ब का सामना करना पड़ता है । कई परिस्थितियों में सरकारी कर्मियों द्वारा विभागीय जटिलताओं के कारण प्रतिपूर्ति का दावा छोड़ देना भी पड़ रहा है । सरकारी कर्मियों एवं विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिलताओं को दूर करने हेतु बार–बार अनुरोध पत्र प्राप्त हुए है ।

उक्त इन्हीं कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिलताओं को दूर करने हेतु संकल्पित है ।

2. इस निमित्त माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति का सुझाव/अनुशंसा एवं सम्यक विचारोपरान्त राज्य के कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है :–

3. (क) विधान मंडल के पूर्व एवं वर्त्तमान सदस्य / अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी एवं राज्य कर्मी को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी /सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी । बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–14/विविध–38/2006–1079(14), दिनांक 07 अगस्त, 2007 के उपरान्त जो भी स्पष्टीकरण (Clarification) बिना सरकार की अनुमति से निर्गत है उन्हें एतद् द्वारा विलोपित किया जायेगा ।

(ख) राज्य से बाहर एवं अंदर गैर सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सी0जी0एच0एस0 दर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी ।

4. अन्तर्वासी चिकित्सा हेतु कमरा शुल्क निम्नवत होगा :–

(i) ग्रेड–पे – 8700/– एवं इसके उपर के कर्मियों को प्राइवेट रूम का खर्च देय होगा । यह सुविधा विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य को भी उपलब्ध रहेगी ।

14.

(ii) ग्रेड पे – 6600/– से **ग्रेड पे – 8700/– तक के कर्मियों को सेमी प्राईवेट रूम का खर्च देय होगा ।**

(iii) ग्रेड पे – 6600/– के नीचे के कर्मियों को जेनरल वार्ड का खर्च देय होगा ।

(iv) आई0सी0यू0 चिकित्सा के मामले में सभी कर्मियों को बेड चार्ज के व्यय की कुल राशि अनुमान्य होगी ।

(v) जहाँ बेड का कैटेगराइजेशन उपलब्ध नहीं हो तो सभी ग्रेड पे के कर्मियों हेतु सी0जी0एच0एस0, मार्गदर्शिका/दर के अनुरूप मान्य होगा ।

(vi) **किसी भी परिस्थिति में डिलक्स/सेमी डिलक्स रूम का चार्ज देय नहीं होगा ।**

5. राज्य के बाहर बिना पूर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये इलाज की घटनोत्तर स्वीकृति बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 के अन्तर्गत संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव प्रदान करेंगे ।

6. राज्यकर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पूर्व के प्रावधानों को संशोधित करते हुए निम्नवत होगी :–

(i)	**50 हजार रू0 तक –**	संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ।
(ii)	**50 हजार रू0 से उपर 5 लाख रू0 तक –**	संबंधित मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के विभागीय सचिव/ प्रधान सचिव द्वारा ।
(iii)	**5 लाख से उपर –**	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा ।

(iv) विधान मंडल के पूर्व एवं वर्त्तमान सदस्य तथा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी को आउटडोर चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने की स्थिति में किया जा सकेगा ।

(v) 5 लाख रू0 तक चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा तथा इससे उपर की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा दी जायेगी ।

15.

7 (i) दंत चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) पर हुए सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति कंडिका–3 के अनुरूप होगी, परंतु कास्मेटिक चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी ।

(ii) पेसमेकर Implantation, नेत्र (लेंस इम्पलान्ट) तथा कॉकलीयर इम्पलान्ट संबंधी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति कंडिका–3 के अनुरूप की जायेगी ।

8. सरल प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र (प्रपत्र) एवं संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षकों को जिला/प्रमंडलवार चिकित्सा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अलग से मार्गदर्शिका प्रशासी विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।

9. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

10. यह संकल्प निर्गत होने वाली तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 946(14) पटना, दिनांक 14/8/15

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन, स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली/आई. जी. आई. सी. पटना/जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\rajesh kumar\sankalp\latest Medical Rules Cabinet note.doc

(61)

संचिका सं0:- 3/एफ-01-03/2013-7414/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

डा0 बी0 राजेन्दर
सचिव (संसाधन)

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-- 14-8-2014

विषय:-- **चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं सेवा विनियमन का प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा निहित जांच पत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न विभागों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं सेवा विनियमन का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्राप्त होते हैं वह त्रुटि रहित नहीं रहता है। संचिका पर संबंधित कागजातों की मूल अथवा अभिप्रमाणित छायाप्रति संधारित नहीं रहते हैं जिसके कारण वित्त विभाग को परामर्श/सहमति अंकित करने में कठिनाई होती है तथा बाध्य होकर संचिकाओं को पृच्छोपरान्त लौटा दिया जाता है जिससे मामलों के निष्पादन में विलम्ब होता है।

अतः अनुरोध है कि वित्त विभाग को चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय वित्त विभागीय पत्रांक 783 दिनांक 16.01.12 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पूर्व में संसूचित जांच प्रपत्र एवं समेकित व्यय विवरणी पूर्णतः शुद्ध-शुद्ध भरकर तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरित कराकर ही भेजी जाय।

सेवा विनियमन से संबंधित प्रस्ताव के साथ सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरित जांच पत्र, एवं तिथिवार तालिका आवश्यक रूप से विहित प्रपत्र में संचिका पर रखा जाय। तिथिवार तालिका, मूल पदस्थापन संबंधी संचिका के आधार पर, विहित प्रपत्र अनुसार तैयार किये जाय। साथ ही विभागीय वित्त परिपत्र संख्या--3140 दिनांक 06.04.11 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित निदेशों का अक्षरसः अनुपालन किया जाय तथा संचिका पर उपस्थिति संबंधी साक्ष्य का अभिप्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संधारित किया जाय।

अनुलग्नक--यथोक्त

विश्वासभाजन

(बी0 राजेन्दर)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

17.

मानक प्रारूप–II (चिकित्सा प्रतिपूर्ति)

विभिन्न विभागों द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों/उनके आश्रित सदस्यों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्ताव पर विचार हेतु वांछित सूचना प्रेषित किये जाने हेतु मार्ग–दर्शिकाः–

(1) प्रशासी विभाग का नाम :–

(2) सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम :–

(3) सरकारी सेवक स्वयं बीमार नहीं हो, तो सरकारी सेवक के परिवार के बीमार का नाम एवं संबंध :–

(4) रोग का नाम :–

(5) चिकित्सा कराये गये सरकारी/अस्पताल/सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पताल का नाम :–

(6) चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति
 (क) अंतर्वासी– कब से कब तक
 (ख) बहिर्वासी– कब से कब तक

(7) रेफर करने वाले अस्पताल/चिकित्सा संस्थान का नाम :–

(8) राज्य के बाहर चिकित्सा कराये जाने संबंधी सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं :–

(9) यदि नहीं प्राप्त है, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा की घटनोत्तर स्वीकृति की अनुमति प्राप्त है या नहीं?

(10) राज्य के बाहर सक्षम चिकित्सा प्राधिकार द्वारा रेफर मान्यता प्राप्त अस्पताल में ईलाज कराया गया है या उससे अलग।

(11) यदि अलग कराया गया है तो उसका कारण एवं घटनोत्तर स्वीकृति।

(12) क्या रोगी हृदय रोग से ग्रसित हैं।

(13) क्या हृदय रोग से ग्रसित हैं तो हृदय में लगाये गये उपकरण का नामः–

(14) डिस्चार्ज समरी का मूल या अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्रः–

(15) अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0/सिविल सर्जन, पटना द्वारा विपत्र की प्रतिहस्ताक्षति प्रति है या नहीं:–

(16) यदि है तो कितनी राशि की अनुशंसा है:–

(17) हॉस्पिटल द्वारा अनुशंसित राशिः–

(18) क्रय किये गये औषधियों/जांच से संबंधित अभिश्रव/विपत्र संबंधित संस्थान के चिकित्सक के द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित है या नही :

(19) प्रतिपूर्ति प्रमाण–पत्र अस्पताल/संस्थान के अधीक्षक/निदेशक द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित है या नहीं :–

(20) विपत्रों की जाँच किस दर पर की गई है, स्पष्ट उल्लेखित रहे :–

(21) संचिका के पत्राचार भाग पर रक्षित Medical Vouchers एवं अन्य कागजातों का पृष्ठांकण क्रमवार हो :–

(22) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव का अनुमोदन प्राप्त है या नहीं :–

उप सचिव या उसके ऊपर के
पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

विवरणी

(59)

मानक प्रारूप–I

समेकित व्यय विवरणी

Sl. No.	Vouchers No.	Vouchers date	Amount	Page No.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
Total.				

उप सचिव या उसके ऊपर के
पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

(14) (5)

संoसंo 14/विविध–04/2006 1182(14)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार
सरकार के सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव ।
सरकार के सभी सचिव ।
सभी विभागाध्यक्ष ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।
अधीक्षक पी0एम0सी0एच0, पटना ।
सभी सिविल सर्जन ।

पटना, दिनांक : 2/6/06

विषयः–राज्य सरकार के कर्मियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में मार्गदर्शन ।

महाशय,

राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से राज्य के अन्दर और बाहर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कराई गयी अन्तर्वासी और कतिपय चिन्हित रोगों में वहिंवासी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग के संकल्प सं0 1070 दिनांक 20.05.2006 द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्रण पदाधिकारी और विभागीय सचिव को प्रत्यायोजित की गई है । इस लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामले में एकरूपता बनाये रखने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश/मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है :–

1. अन्तर्वासी चिकित्सा (In Door)-बिहार उपचार नियमावली, 1947 के प्रावधानों और स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र ज्ञाप संख्या–6/1.535–73–1443(6) स्वा0 दिनांक 10.06.75 द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों जैसे माता–पिता पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री को सरकारी अस्पताल/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कराई गई अन्तर्वासी (In Door)- चिकित्सा के दौरान उन औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति जिसको

20.

आपूर्ति सरकारी अस्पताल भंडार से नहीं हो पाती है, अनुमान्य है स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या 482(14) दिनांक 24.03.2006 द्वारा बिहार उपचार नियमावली के नियम–1 में टिप्पणी–13 जोड़कर सी0जी0एच0एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों को भी सी0जी0एच0एस0 द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान की शर्त्तों पर अन्तर्वासी चिकित्सा हेतु मान्यता दी गई है । सी0जी0एच0एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची ई–मेल सं0–http://moh w.nic.in द्वारा डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकेगा ।

2. वहिर्वासी (Out Door) चिकित्सा–स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 5257(24) दिनांक 8.12. 94, 666(6) दिनांक 16.5.80 और संकल्प संख्या 1356(24) दिनांक 2.5.2000 (संकल्प की प्रति संलग्न) के द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारी/कर्मचारी एवं उनके आश्रित सदस्यों को निम्नांकित विशेष रोगों में वहिर्वासी चिकित्सा (Out Door) पर हुए व्यय (संबंधित चिकित्सीय संस्थान में होनेवाली वहिर्वासी चिकित्सा के क्रम में क्रय की जानेवाली औषधियों एवं जॉच पर होनेवाले व्यय) की प्रतिपूर्ति भी अनुमान्य है :–

(a) यक्ष्मा (T.B)

(b) कैंसर (Cancer)

(c) कुष्ठ (Leprosy)

(d) हृदय की शल्य किया के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय ।

(e) गुर्दा (kidney) प्रत्यारोपन के बाद की चिकित्सा पर हुए व्यय ।

(f) लीवर प्रत्यारोपन के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय पर हृदय की शल्य चिकित्सा एवं गुर्दा प्रत्यारोपन के पूर्व हुई वहिर्वासी चिकित्सा के मामले में सिर्फ यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति नियमानुसार अनुमान्य है, जॉच एवं दवा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं । लीवर प्रत्यारोपन के मामले में भी विदेश में जॉच या चिकित्सा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं है।

3. विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच की प्रक्रिया -- विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :--

(1) राज्य के भीतर कराई गई चिकित्सा से संबंधित 20,000/– (बीस हजार रूपये) मात्र तक के दावे सरकारी सेवक द्वारा उसी जिले के सिविल सर्जन को प्रस्तुत किया जायेगा जिस जिले में सरकारी सेवक पदस्थापित/कार्यरत हैं । सिविल सर्जन द्वारा विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच की जायेगी और विपत्र पर अनुमान्य राशि प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए उसे संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्रण पदाधिकारी को अग्रतर कारवाई हेतु भेजा जायेगा ।

21.

(15)

(II) राज्य के अन्दर कराई गई चिकित्सा से संबंधित 20,000/-- रूपये से उपर के दावे की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0. पटना के संयोजकत्व में गठित एक त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की जायेगी । उक्त समिति में पी0एम0सी0एच0. पटना के औषधि एवं शल्य किया विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में रहेंगे । अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0 आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभागाध्यक्ष को इस समिति में विशेष आमंत्रित के रूप में बुला सकेंगे। त्रिसदस्यीय समिति की बैठक सप्ताह में दो बार आहूत की जायेगी । विपत्र जॉचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षर कर संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग को वापस लौटाया जायेगा ।

(III) राज्य के बाहर कराई चिकित्सा व्यय से संबंधित सभी दावो को भी सरकारी सेवक का प्रशासी विभाग अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना को विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धताकी जॉच के लिए भेजेगा, जो उपरोक्त प्रकिया (ii) के अनुसार जॉच कराने के पश्चात विपत्र संबंधित विभाग को वापस लौटायेंगे ।

4. दावों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया-- दावों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :--

(i) दावा प्रतिपूर्ति के साथ प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना आवश्यक है ।

(ii) <u>क्रय किये गये औषधियों</u> से संबंधित अभिश्रव/विपत्र संबंधित संस्थान के चिकित्सक के द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित रहने चाहिए ।

(iii) प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र अस्पताल/संस्थान के अधीक्षक/निदेशक द्वारा भी मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है

(iv) क्रय की गयी औषधियों से संबंधित कैशमेमो/दवा से संबंधित अस्पताल का पुर्जा की छाया प्रतियां एवं अस्पताल मे अन्तर्वासी रोगी का डिस्चार्ज समरी मूल रूप में प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

(v) स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र सं0 2059(24)दिनांक 27.5.97 (प्रतिलिपि संलग्न)के आलोक मे हृदय रोग के मामले में पेस मेकर लगाए जाने पर पेसमेकर मद में अधिकतम रू0 30,000/-(अठ्तीस हजार रूपये) की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है।

(vi) स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 3800(14) दिनांक 10.12.03 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा नेत्र रोग के मामले मे लेंस इम्पलान्टेशन के लिए अधिकतम 5000/--रू0(पॉच हजार रूपये) लेंस एवं चिकित्सा दोनो पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा 10,000/--रू0 (दस हजार रूपये) प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित है।

(vii) विटामिन शक्तिवर्धक औषधियों एवं खाद्य पदार्थों मदो पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नही की जायेगी। डिरापोजेबुल मदों की प्रतिपूर्ति भी अनुमान्य नहीं है ।

5. यात्रा भत्ता–वित्त विभाग के परिपत्र ज्ञापांक A1-116/59/2840 एफ0–दिनांक 16.2.1959 (प्रतिलिपि संलग्न) और बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 130 के नीचे [redacted] लिये गये निर्णय के अनुसार चिकित्सा के प्रयोजनार्थ वायुयान एवं वातानुकूलित रेल यात्रा अनुमान्य नहीं है ।

6. स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम के मॉनिटरिंग की व्यवस्था– संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन (Estimate) के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रूपये तक चिकित्सा अग्रिम सक्षम पदाधिकारी (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से विभागीय सचिव) द्वारा स्वीकृत किया जाना है । किन्तु स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम को निर्धारित समय–सीमा (अधिकतम 6 माह) के भीतर समायोजन सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अग्रिम के मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रशासी विभाग और नियंत्रण पदाधिकारी दोनों स्तरों पर की जायेगी ।

7. शीर्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति / चिकित्सा अग्रिम में होनेवाले व्यय का वहन आय–व्यय के उसी शीर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई "0147 चिकित्सा प्रतिपूर्ति" से होगा जिससे संबंधित सरकारी सेवक अपने वेतन–भत्ते की निकासी करते हैं ।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

विश्वासभाजन

Dupak

(दीपक कुमार)

सरकार के सचिव

m:\HPC\Department\Section-16\SS-14-vividh-24-2016-Medical Reimbursement.doc

23.

सं0 सं0 14/विविध–04/2006

1070(14)
20-5-2006

बिहार सरकार

स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग

संकल्प

23/6/06

विषयः राज्य सरकार के कर्मियों की चिकित्सा की स्वीकृति एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

वर्त्तमान में स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र सं0 24/एम12–01/99 4286(24) दिनांक 11.12.99 द्वारा राज्य सरकार के सेवी वर्ग की राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा में हुए व्यय रू0 5000=00 तक की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए कतिपय शर्तो के अधीन नियंत्रण पदाधिकारी प्राधिकृत है। रू0 5000/– से अधिक की प्रतिपूर्ति के मामलों में प्रतिपूर्ति की स्वीकृति स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से दी जाती है। इस व्यवस्था से राज्य कर्मियों को प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होने में प्रक्रियात्मक विलम्ब का सामना करना पड़ता है और उन्हे आर्थिक कठिनाई भी होती है।

2. इसी प्रकार राज्य से बाहर राज्य कर्मियों को चिकित्सा हेतु बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 के द्वारा सरकार को प्राप्त विशेषाधिकार का उपयोग कर, प्राधिकृत चिकित्सक एवं राज्य चिकित्सा पर्षद की अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से सरकारी अस्पतालो में या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों (टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई कैंसर रोग के लिए एवं सी0एम0सी0 भेलोर, गुर्दा रोग के लिए) में चिकित्सा कराने की स्वीकृति दी जाती है। चिकित्सोपरान्त सरकारी कर्मियों के नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्राप्त होने पर जांचोपरान्त अनुमान्य राशि की प्रतिपूर्ति का राज्यादेश वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। उक्त प्रक्रिया में भी अत्यधिक समय लग जाता है तथा राशि के अभाव मे कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा वाधित होती है।

1036
26/06/06

3. उपरोक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि:–

(i) राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालो में करायी गयी अन्तर्वासी चिकित्सा और निर्धारित रोगों के संबंध में वहिर्वासी चिकित्सा पर 20,000/– रूपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित सरकारी सेवकों के नियंत्रण पदाधिकारी को होगा।

(ii) राज्य के अन्दर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा कन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों मे करायी गयी अन्तर्वासी चिकित्सा और निर्धारित रोगों के संबंध में वहिर्वासी चिकित्सा पर 20,001/– रूपये से 2,00,000/– रूपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित सरकारी सेवक के विभागीय सचिव को होगा। विभागीय सचिव आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी स्वीकृति देंगे । दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव में संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जायेगा।

(iii) राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालो में अन्तर्वासी तथा निर्धारित रोगों के संबंध में वहिर्वासी चिकित्सा पर दो लाख तक के व्यय के प्रतिपूर्ति की शक्ति संबंधित विभागीय सचिव को होगा। विभागीय सचिव आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श से व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देगें । दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव पर संबंधित विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति दी जायगी ।

(iv) राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रथमवार चिकित्सा कराने की अनुमति के लिये संबंधित प्रस्ताव में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान पटना के निदेशक की अनुशंसा पर संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी अनुमति प्रदान करगे। इसके पश्चात प्रत्येक चेक–अप के पूर्व संबंधित सरकारी सेवक के विभागीय सचिव को संबंधित बाहरी संस्थान के संबंधित चिकित्सक की अनुशंसा पर अनुमति प्रदान करेगे।

24.

(v) राज्य के बाहर अथवा सरकारी अस्पतालों/राज्य सरकार द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी चिकित्सा के लिये संबंधित संस्थान के प्राक्कलन के आधार पर 80 प्रतिशत तक की राशि, अधिकतम दो लाख तक चिकित्सा अग्रिम आंतरिक वित्तीय सलाहाकार के परामर्श से विभाग क सचिव द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। दो लाख से अधिक चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृतिं वित्त विभाग की सहमति के पश्चात विभागीय सचिव द्वारा दी जायेगी।

(vi) प्रतिपूर्ति से संबंधित स्वीकृत्यादेश प्रतिपूर्ति के लिए सक्षम पदाधिकारी (नियंत्रण पदाधिकारी/विभागीय सचिव) के कार्यालय/ विभाग से निर्गत किया जायेगा। अग्रिम से संबंधित स्वीकृत्यादेश संबंधित विभाग से निर्गत किया जायेगा।

(vii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम मे होने वाले व्यय का वहन आय--व्ययक के उसी शीर्ष से होगा जिससे संबंधित सरकारी सेवक अपना वेतन आदि प्राप्त करते है। संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई 01 47 चिकित्सा प्रतिपूर्ति से विकलनीय होगा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वेतन ईकाई में प्राप्त आवंटन में से चिकित्सा प्रतिपूर्ति/अग्रिम की राशि उल्लिखित प्राथमिक इकाई में स्थानान्तरित कर प्रतिपूर्ति/अग्रिम विपत्र की निकासी करेगें। वेतन मद में कुल आवंटित राशि एवं प्रतिपूर्ति ईकाई में स्थानान्तरित राशि उपबंधित राशि से अधिक नही होगी ।

(viii) अग्रिम राशि का सामंजन निकासी के अधिकतम छः माह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व के अग्रिम के सामंजन नही होने पर द्वितीय अग्रिम स्वीकृत नही किया जायेगा। निर्धारित अवधि में अग्रिम सामंजित नही होने पर संबंधित सरकारी सेवक को असामंजित अग्रिम की राशि को एक मुश्त जमा करना होगा। अग्रिम की निकासी एक माह के भीतर चिकित्सा प्रारम्भ नही होने पर अथवा चिकित्सा हेतु प्रस्थान नही करनें पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त राजकोष मे जमा करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं नियंत्रण पदाधिकारी का होगा।

(ix) उपरोक्त प्रक्रिया में साधारण परिवर्तन विभाग द्वारा भविष्य में वित्त विभाग की सहमति से किया जा सकेगा ।

ह० 20/5/06
(अरविन्द कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 1070(14) /स्वा0, पटना, दिनांक : 20-5-06

प्रतिलिपि ; अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस,गुलजारबाग,पटना को राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

ह० 20/5/06
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 1070(14) /स्वा0, पटना, दिनांक : 20-5-06

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/ लोकायुक्त, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, राज्यपाल, सचिवालय, बिहार/सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक उच्च न्यायालय पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/सभी अधीक्षक,राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक पदाधिकारी/सभी पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अपने स्तर से इस संकल्प की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

ह० 20/5/06
सरकार के उप सचिव